0(

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय, भविष्य निधि भवन, प्लॉट नं. २२२, सेक्टर नं. ३, चारकोप मार्केट, चारकोप - पोयसर रोड, कांदिवली (पः), मुंबई - ४०० ०६७.

Employees' Provident Fund Organisation

(Ministry of Labour, Govt. of India)

Regional Office, Bhavishya Nidhi Bhavan, Plot No. 222, Sector No. 3, Charkop Market, Charkop - Poiser Road Kandivali (W), Mumbai - 400 067.
सं./ महा / भ्र. नि. / प्रयोज्यता
सं./ महा / भ. नि. / प्रयोज्यता NO. MH/PF/APP/ 214393 709 Date: 29 3 11
Nehm Chay Anond Noger Appenhade Malcel (E) Mumbai 40009)
विषय : कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपमन्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना - इसकी प्रयोज्वता - संकेत संख्या का आबंटन ।
Sub: Employees Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed thereunder applicability thereof-Allotment of code number.
महोदय, Sirs,
1. आपकी फेक्ट्री / स्थापना उसकी सभी शाखाए और विभागों के साथ दि. से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बचाई गई योजना के प्रतिधान खण्ड में समाविष्ट की गई है । उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है की
1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisons Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from
2. आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1(3) के अधिन कर्मचारी भिविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है ।
(I) Your factory is engaged in
2. आपकी स्थापना के लिए वर्गीकृत को गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1(3) (बी)के अनुसार भा रत
सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम 1952 लागू होता है ।
(II) Yours is an establishments classified as
3. आपकी फैक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1(3) (बी) के अनुसार भारत
सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाँओं के वर्ग में अन्तर्भूत नहीं है । अतः आपकी स्थापना के अ-सूचिबद्ध माना गया है ।

(१-ख) अधिनियम की धारा (१) (४) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैच्छि रूप से विस्तार के

(1-क) जाँच पहताल / उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ती तत्कालिक स्वरूप की है, लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख

(1-A) The coverage is PROVISIONAL on the basis of enquiries made/information available and is subject to

सत्यापित हो जाए ।

further verification of your records for prior periods.

·
सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं दि.
के सन्दर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा १ की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुआ
भारत सरकार द्वारा आधसूचना जारा होने तक आपकी स्थापना की तात्कालिक रूप से दि. से, व्याप्ती करके
(1-B) With reference to your application No. Dated received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under section 1 (4) of the Act, on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely PROVISIONALLY covering your establishment with effect from pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by sub-section (4) of section 1 of the Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
(1-क) आपकी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के उपबन्धों का
अनुपालन करने के लिए एम्एच/ यह संकेत संख्या नियत की है । यह संकेत संख्या इस कार्यालय के साथ किये जानेवाले सभी पत्राचार पर नित्य रूप से उद्धृत की जाएं ।
(1-C) The code No. MH/ is allotted to you for the purpose of making compliance with the provision of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder. This code number should invariably be quoted in all the correspondence with this office.
2. आपको से कर्मचारी भविष्य निधि योजना से परिवार
पेन्शन योजना तथा से निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के उपबन्धों को कार्यान्वित करना है, अगर अ श्रीतक न किये हो, तो ।
2. You are required to implement the provisions of the Employees Provident Fund Scheme w.e.f. Linked Insurance Scheme w.e.f. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
 फैक्ट्री / स्थापना मे या उसके काम के सम्बंध में कार्य करने वाला कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ की घारा २६ के अनुसार निधि की सदस्यत के लिए पात्र होगा ।
3. As provided in para 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1052, an ampleus and its income

- 3. As provided in para 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, an employee working in or in connection with the work of the factory / establishment shall be eligible for membership of the fund.
- 4. (1) हर महिने प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महागाई भता (अनाज सुविधा की नकद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारणमत्ते के.

10%, 12% की दर से अंशदन नियोक्ता द्वारा देय होगा । कर्मचारी द्वारा दैय अंशदान के समान होगा ।

- 4. (I)The contributions payable by the employer shall be at the rate of 10%, 12% of basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee, every month. The contribution payable by the employee shall be equal to the contribution payable by the employer.
- 2. अंशदान पूर्ण महिने में प्राप्त किये मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदी के आधार पर परिकलित किया जाए, चाहे वह दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर अदा किया है ।
- (II) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. actually drawn during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.
- 3. प्रत्येक अंशदान रूपये के नजदिक के चतुर्थाथ में परिकलित क़िया जाएगा जैसे का 125 या उसके अधिक पैसे के अगले उच्च चतुर्थाथ के अनुसार गिने जाए ।
- (III) Each contributions shall be calculated on the nearest quarter of a rupee i.e. 125 paise more to be counted as the next higher quarter of a rupee.
- अंशदान की परिगणना हेतु वेतन नजदिक के रूपये में पूर्णांकित किया जाए जैसे कि 50 या उसके अधिक पैसे एक रूपया के अनुसार गिने जाए और 50 से कम पैसे पैसे छोड़ दिया जाए ।
- (IV) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded off to the nearest rupee i.e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

टिप्पणी :- किसी भी दिन आपने 50 यां 50 से अधिक व्यक्तियों को कामपर रखा तो आप 10%, 12% अंशदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे ।

ote: On your employing 50 or more than 50 persons on any day you will be lieble to account

- (5) नियोका प्रथमतः उसके और कर्मचारी की ओर से देय दोनो अंशदान भरें।
- (V) The employer shall in the first instance, pay both contributions payable by himself and also on behalf of the member.
- (6) टेकेदार द्वारा कामपर लगाये हुये कर्मचारीयों के बारे में देय अंशदान ठेकेदार वसुल करेगा और सदस्य के अंशदान की कटौती समान अंशदान की राशी प्रशासनिक खर्चा की रक्कम के साथ मुख्य नियोक्ता का सुपूर्त करेगा ।
- (vi) In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover the contribution payable by such employees and shall pay to the principal employer the amount of member's contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges.
- (7) मुख्य नियोक्ता पर उसके कर्मचारीयों के एवं टेकेदार द्वारा कामपर लगाये गये कर्मचारीयों के बारे में देय दोनों अंशदान और प्रशासनिक खर्चा की रक्कम भरने की जिम्मेदारी होगी ।
- (vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by or through a contractor and also Administrative charges.
- 5. कर्मचारी की उसका वेतन देने से पहले आप उसके वेतन से कर्मचारी के अंशदान की कटौती करे और आपका अंशदान एवं प्रशासनिक खचों की रकम के साथ प्रत्ये महिने की समाप्ति के 15 के दिन अन्दर भारतीय स्टेट बँक द्वारा पोषित निधि के लेख में अलग चालान द्वारा निम्नलिखित प्रकार से भरे।
- 5. Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close of every month be paid in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separate challans in the following manner:

(क) भ. नि. अंशदान (कर्मचारी एवं नियोक्ता का)

(a) P.F. contributions (both employees' and employer's)

(ख) प्रशस्तिक खर्चों की रकम

(b) Adminsitrative charges

(ग) परिवार पेन्शन अंशदान

(ग) परिवार पेन्शन आंशदान

टिप्पणी :- 1. प्रशासनिक खर्चों की दर वेतन के, अर्थात मूल वेतन, अनाज सुविधा की नकद कींमत के साथ महंगाई भत्ता और अगर हा तो प्रतिधारण भत्ते के 1.10% from 1-8-98 है। जिस स्थापना द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास 5.00 रूपयों के कम परिकलित होती हो, उसके द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास कम से कम 5.00 रूपये देय होगी।

NOTE: (I) The rate of administrative charges from 1-8-98 is 1.10% of pay i.e. basic wages, deamess allowance including cash value of any food concession and retaining allowance, if any.

- (2) यह भी नोट कर लिया जाये की सदस्य के वेतन के यथा समय कटौती न करने पर अंशदान के दोनो हिस्से खुद नियोक्ता को भरने होंगे क्यों की उत्तरवर्ती वेतन से पिछले अवधि के लिये बकाये अंशदान की वसूली निशिद्ध है ।
- (ii) It amy be noted that if timely deductions are not made from the members wages, the employer will leave to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from the subsequent wages of the employee is prohibited.
- (3) आपको सभी पात्र कर्मचारीयों के बारे में पिछले से तक के महिनों के लिए भविष्य कुल अंशदान इस पात्र की तारीख से 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित खाते में निक्षेपित करना है ।

 (iii) You have to deposit the total P_iF. contributions of the eligble employees for all past month namely
- (4) धन प्रेषण हेतु सम्बन्धित चालान इस कार्यालय यां विभिन्न जिलों में स्थित निरिक्षक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है ।

- (V) The relevant challans for the purpose of remittance of can be had from any branch of the State Bank of India.
- (5) चेक यथा अवस्था क.भ.नि. लेखा सं. 1,2,10,21 और 22 के नाम से लिखकर चालान की चार प्रतियों के साथ भारतीय स्टेट बँक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किये जाए ।
- (6) लेखा संख्या 1,2 और 10 में (उपयुक्त ब्योंरें के अनुसार) किये जाने वाले निक्षेप के अतिरिक्त आपको कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजन 1976 के अन्तर्गत लेख सं. 21 और 22 में निम्नलिखित प्रकार से राशीका निक्षेप प्रत्येक महिने की समाप्ति के बाद अगले महिने के 15 दिन के अन्दर करना है ।
- (6) Besides making deposits in Account Nos. 1, 2 and 10 (as explained above), you are also required to deposit the amounts in Account Nos. 21 and 22 under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.
- (1) निक्षेप सहबद्ध बीमा निधी लेखा सं. 21

इस लेखार में नियाक्ता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कींमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भत्तें की कुल राशी पर 0.5% की दर से अंशदान निक्षेपित करना है ।

(i) Deposit Linked Insurance Fund Account No. 21

To this account will be deposited the contribution 0.5% which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any, payable to the employees by employer.

(2) क्षेत्रीय बीमा निधी प्रशासन लेखा सं. 2

इस लेखा में नियोवता द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नगद कींमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भत्तें की कुल राशी पर 0.01% की दर से प्रशासनिक खर्ची की रकम निक्षेपित करनी है ।

(ii) Regional Insurance Fund Administration Account No. 22

To this account will be deposited the administrative charges 0.01 per cent which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to the employees by employer.

- उपयुक्त लेखा सं. 1,2,10,21, और 22 में किया जानेवाला निक्षेप अलभ चालान द्वार किया जाए एवं बँक द्वारा प्राप्त पावती चालन की प्रति प्रपन्न सं. 12-ए (निम्नलिखित ब्योरों के अनुसार) के साथे सलग्न करके इस कार्यालय को भेंजी जाए ।
- The deposit in the above Account viz. No. 1, 2, 10, 21 and 22 are to be made by separate challan and a copy of the challan as receipted by the Bank may be forwarded to this office duly attached with form 1-A (explained
- आपको निम्नलिखित विवरणियों को पोषण / प्रेषण करना है । 8.
- 8. You are required to maintain/forward the following returns.
- योजना के अन्तर्गत फैक्ट्री / स्थापना की तारीख पर जिन्हे सदस्य बनाना आवश्यक है या जो सदस्य क.भ.नि. योजना 1952 के अंतर्गत प्रपत्र संख्या ९ तथा प. पे. बनने के लिए पात्र है उस कर्मचारायों के बारे में केवल एक बार इन्हे इस कार्यालय में प्रस्तुत करना है । योजना 1971 के अंतर्गत प्रगत सं. 3 (प.पं.नि)
- (I) Form No. 9 under the EPF Scheme 1952 and Form No. 3 (FPF) under the F.P.F. Scheme, 1971.

These are to be submitted to this office once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date of the factory establishment is covered under the Scheme.

(2) कर्मचारी भ. नि. योजना 1952 तथा प.पे.नि. योजना 1971 के अंतर्गत प्रपत्र सं. 2

इन्हें इस कार्यालय को भेजने के लिए प्रत्येक सदस्य से दी प्रतियों में प्राप्त करना है ।

(ii) Form No. 2 under the EPF Scheme, 1952 and also under F.P.F. Scheme, 1971.

These are to be obtained in duplicate from every member for submission to this office.

(3) ਸ਼ਧਕ ਲਂ. 5-ਦ

यह इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा मालिकी में अगर उत्तरवीं परिवर्तन हो जाए तो उसे इस प्रपत्र के जरिए इस कार्यालय को सूचित किया जाए ।

(iii) Form No. 5-A

This is to be submitted to this office. Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.

(4) ਸ਼ਧਕ सं. 3-ए

इसे प्रत्येक सदस्य कर्मचारी के बारे में फैक्ट्री / स्थापना में पोषित किया जाना है ।

(iv) Form No. 3-A

This is to be maintained at the factory/establishment is respect of every employee

(5) ਸ਼ਧਕ਼ ਲਾਂ. 6-ए

यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे वित्तिय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय

(V) Form No. 6-A

This is the annual return of contributions and is to be submitted to this office within को भेजा जाता है ।

(6) ਸ਼ਧਕ ਲਾਂ. 12-ए

यह अंशदान की मासिक विवरणी है और इसे 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाना है । भारतीय स्टेट बैंक मे किये गये निक्षेप के पुष्टिकरण हेतु चालान की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न की जाए ।

(vi) Form No. 12-A

This is to monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th Copies of the challan, in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

(7) प्रपत्र सं. 5 और 10

यह महिने में जिन कर्मचारीयों को सदस्य बनाना गया तथा जिन कर्मचारीयों ने सेवा त्याग दी है । उनके सम्बन्धित विवरणिद्रों है जिन्हें तारीख 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाता है ।

These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 25th.

- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, परिवार पेन्शन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अन्तर्गत सभी निर्धारित प्रपत्र भविष्य (vii) Form No. 5 and 10 निधि निरीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध है और आपकी पहचान पर उसकी पूर्ति की जाएगी । योजना के निर्धारित विभिन्न का संक्षिप्त विवरण
- 9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pension Fund Scheme अनुलप्रक "ए" में दिया है । शीघ्र गणक भी इससे संलग्न है । and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available in the Provident Fund Inspector's Officer and will be supplied on receipt of your indent. A summary of the various forms prescribed under the Scheme is given as
- 10. इसके अलावा आपको सेवा में लिए गये प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्र सं. 11 में निवेदन प्राप्त करना होगा जिससे वह पहले भविष्य निधि Annexure "A". A ready reckoner is also enclosed. योजना का सदस्य था या नहीं इसका पता चल सके । सदस्यता के लिये लगनेवाली योग्यता की जाँच करने हेतु प्रत्येक स्थापना असदस्य
- 10. Besides, you should also take a declaration in form No. 11 from every employee who is taken in employment कर्मचारीयों के बारे में पात्रता रजिस्टर रखेगी ।
- to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund scheme. 11. निम्नलिखित प्राप्त के अनुसार एक निरिक्षक पुस्तिका रखी जाए एवं टीका-टिप्पणी दर्ज करने के लिए असे भविष्य निधि निरीक्षक को
- 11. An Inspection book in the following proforma may also be maintained and produced to the Provident Fund प्रस्तुत किया जाए । Inspector for recording his observation:
 - भविष्य निधि निरीक्षक का नाम
 - Name of the Provident Fund Inspector_

(2) जॉच किये गये लेखा की अवधि	
(३) भ्रेटकी तारीख	
(iii) Date of visit	
(4) टीका टिप्पणी (iv) Observations	5 Colorar
(iv) Observations Total 20 (10 texcin + 1	यह संकेत
12. उपयक्त धारा 2 के अनुसार आपकी फैक्ट्री/स्थापना के लिए एमएच/	्रे व्यापार करणाः होजी । एतद् अनुसार सदस्यों
12. उपयुक्त धारा 2 के अनुसार आपकी फैक्ट्री/स्थापना के लिए एमएच/ संख्या नियत की है। सदस्यों की लेखा संख्या, प्रपन्न संख्या 9 और प्रपन्न संख्या 3 (प.पे.नि.	
संख्या नियत की है । सदस्यों की लेखा संख्या, प्रपन्न संख्या ९ और प्रपन्न संख्या ७ (५.५.१) की वैयक्तिक लेखा संख्या एमएच/	मध्य मामले में दसरे सदस्य के लिए नियत नहीं की
के कि एक गर एक सहस्य की नियंत की जैया लेखा लेखा है।	Hall Alle (C. A. 2010)
जाएगी। (जिस सदस्य की लेखा संख्या दा गई है उसने आपका Editor Editor) 12. As state in para 2 above, the code number allotted to will be suffixed, by the serial numbers in which they appear in Form No number of individual members will be MH/	/1, MH///11, MH///11, MH///11, MH//
case be allotted to another member, over	्र २
establishement. 13. यह सुनिश्चित किया जाए की निधि की देय राशी निर्धारित समय में भरनी है ।	विलंबित अदायमा क्लचारा मायप्य एका एक
13. यह सुनिश्चित किया जाए की निर्धित के प्रमुख स्थाप परिवास के लिए उत्तरदायी उपलब्ध अधिनियम की धारा 14 बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी	goll I
उपलब्ध अधिनियम की धारा 14 बी के अनुसार सा प्रावशित बातिशृद्ध के तर उपलब्ध अधिनियम की धारा 14 बी के अनुसार सा प्रावशित बातिशृद्ध के तर उपलब्ध 13. It is important to ensure that the amount to due to the Fund is payment are liable to damages upto hundred per cent of the arr payment are liable to damages upto hundred per cent of the arr Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. 14. इसके अतिरिक्त देयता की अदेनगी तथा विवरणियों की अ-प्रस्तुति के अभियोग भी	rears as provided in Section 14-B of the
14. इसके अतिरिक्त देयता की अदनगा तथा विवश्नाचा का का अनुसार किया के अपने किया के अपने	nd for non-submission of returns.
15. इस कार्यालय के निरिक्षक आपकी स्थापना की भेट देगे । इस्तिए का निर्मा अपका कोई किटनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते । निर्धी निरीक्षक को लिख सकते है ।	है, तो इस कार्यालय को या निम्नलिखित पते पर भविष्य
निधी निरीक्षक को लिख सकते हैं । 15. An Inspector of this office will be visiting you establishmen necessary co-operation. However, if you experience any difficulty o to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given	t. You are requested to produce t
to this office of the Froncostant श्री/श्रीमती	
अविष्य निर्ध	ी निरीक्षक
Rucodh	*7 *2
1,	x 5
06	
11/200	भवदीय,
12713/2011	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
Provident Fund Inspector	क्षेत्रीय कार्यालय, सुंबई ।।।, कांदिवली
- Fruits	æa e
	c 2 to 29 moutout
please acknowledge receipt of this communication S. Komaladevi	Yours faithfull
S. Komaladevi	Regional Provident Fund Commission

सहायक भ. नि. आर्वन .

Regional Provident Fund Commissioner R.O. Mumbai III, Kandivali

सलग्नक :

and

- १. संकेत संख्या के आंबटन सम्बन्धि सूचना.
- 1 Instruction regarding allotment of A/c number and filling up of Scheme.
- 2 Instruction regarding transfer of previous Provident Fund accumulations and transfer of securities.
- 3 Ready Reckoner for calculating P.F. contributions/F. P. contributions/Deposit Linked Insurance Contribution.

लेखा संख्या के आबंटन सम्बन्धि सूचना.

INSTRUCTION REGARDING ALLOTMENT OF ACCOUNT NUMBER

फेक्ट्री स्थापना की संकेत संख्या के अन्तर्गत योगकर्ता कर्मचारी की लेखा संख्या क्रमिक रूप से होगी । प्रत्येक फेक्ट्री/स्थापना आपनी खुद की क्रमसंख्या बनाएगी एवं निधि के जितने योगकर्ता है उतनी ही क्रमसंख्या होगी । फेक्ट्री/स्थापना की संकेत क्रमसंख्या के पहले जोडनेपर सम्बन्धित कर्मचारी/योगकर्ता की भविष्य निधि की पूर्ण लेखा संख्या तैयार होगी । उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी फेक्ट्री/स्थापना में 52 योगकर्ता है तो उनकी पूर्ण भविष्य निधि लेखा संख्या एम्एच्/306/1, एम्एच्/306/2, एम्एच्/306/3, और इसी तरह लगातार एम्एच्/306/52, तक होगी । जिससे एम्एच्/306 यह फेक्ट्री/स्थापना की अपरिवर्तनीय संकेत संख्या सूचित है और संख्यात्मक क्रमांक योगकर्ता के लिए नियत की गयी लेखा संख्या सूचित करते है । संकेत संख्या की तरह योगकर्ता को एक बार नियत की गयी लेखा संख्या भी अपरिवर्तनीय होगी । योगकर्ता ने सेवा त्याग देने पर उसका लेखा बंद हो गया हो बन्द लेखा की लेखा संख्या रिक्त रखी जाए । उसे किसी नये सदस्य के लिए फिर से नियत न की जाए । योगकर्ता का फेक्ट्री/स्थापना से स्थानांतरण होने पर, फिस फेक्ट्री/स्थापना में वह कार्यकरता था उसमें उसकी लेखा संख्या अपवृत रहेगी लेकिन किसी अन्य को नियत नहीं की जाएगी । क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और फेक्ट्री/स्थापना के बीच होने वाले पत्राचार में योगकर्ता की लेखा संख्या उद्धृत की जायगी ।

The employee's subscriber's account number will be a running number under the code number of the factory/establishment. Each factory/establishment having a serial of its own and as many numbers in the serial as there are subscribers to the Fund. The running numbers prefixed with the code number of the factory/establishment will be the full Provident Fund Account Number of the employee/subscriber concerned. For example, if there are 52 subscribers in a factory/establishment their full Provident Fund Account Numbers will be MH/306/1, MH/306/2, MH/306/3, and so on till MH/306/52, where MH/306 denotes the unalterable factory/establishment's code number and the running, the account number, once allotted to the subscriber will not be changed when he quits service and his account is closed, the number of the closed account will be left blank and WILL NOT BE RE-ALLOTTED TO ANY NEW MEMBER. On transfer of a subscriber from one factory/establishment he joins and his account number in the factory/establishment. In which he was last employed will become inoperative and will not be re-allotted to and one. The Account Number of each subscriber must be quoted in all correspondence between the Regional Provident Fund Commissioner and the factory/establishment and vice versa.